भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4840

(23 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस

4840. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रॉवः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 हेतु सरकार द्वारा मनरेगा प्रावधान के लिए वंटित धनराशि का ब्यौरा क्या ह

(ख) क्या सरकार वर्तमान 100 कार्य दिवस की व्यवस्था की तुलना में 150 कार्य दिवस तक रोजगार बढ़ाने/प्रदान करने पर विचार कर रही ह

(ग) क्या सरकार मनरेगा को खेती के कार्यकलापों जैसे धान, गेहूँ कार्य से जोड़ने पर विचार कर रही ह ताकि किसानों को बढ़ावा दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 एक मांग धारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम ह विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मनरेगा के अंतर्गत बजट वंटन निम्नानुसार ह

(रूपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	संशोधित आवंटन
2016-17	38500.00	48220.26
2017-18	48000.00	55167.06
2018-19	55000.00	61830.09

(ख): जी, नहीं। तथापि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर देश के अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों अथवा प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा 50 दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार दिया जाता है।

(ग) एवं (घ): मनरेगा के अंतर्गत 260 कार्य अनुमेय हैं जिसमें से 164 कार्य कृषि एवं कृषि संबंधी कार्यकलापों से संबंधित हैं। मनरेगा के अंतर्गत पहले से ही जोर दिया जाता है कि लागत के संदर्भ में जिला स्तर पर कम से कम 60% कार्य कृषि एवं कृषि संबंधी कार्यकलापों से सीधे जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए होंगे जिसमें खेत तालाब, कुओं, मिट्टी के चेक डैम, फील्ड चैनल और अन्य जल संचयन संरचनाओं के निर्माण जैसे जल सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल होते हैं। मनरेगा ग्रामीण गरीबों को आजीविका सुरक्षा हेतु एक तात्कालिक विकल्प प्रदान करता है और यह एक नियमित रोजगार योजना नहीं है। अधिनियम में व्यवस्था है कि जो कार्य अमूर्त, गैर-मापनयोग्य और बार-बार किए जाने वाले हैं जैसे घास, कंकड़-रोड़ी हटाना और कृषि संबंधी कार्य शुरू नहीं किए जाएंगे।